

## भाग-1

चतुर्थ अनुसूची (नियम 24 (5) (क) (4))

प्रपत्र -425-क

(समूह "घ" के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिये)  
सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत भुगतान के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र  
सेवा में,

### उप निवन्धक (सम.)

### मातृ उच्च न्यायालय

### इलाइबिल

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/ब्रह्मी हूँ/ 31-5-2020 मास के लिये सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी-पर  
चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका/चुंकी हूँ और मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया  
गया है। दिनांक 31-5-2020 पूर्वान्ह/अपराह्न से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया/दी गयी हूँ।

2. मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमाखाते में विद्यमान  
अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय व्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे  
किया जाये। मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या 175/18541 है।

3. 19 2019 के नवम्बर-2019 मास के मेरे वेतन बिल से भविष्य निधि  
अभिदान के रूप में 15000/- रु० की धनराशि की अन्तिम बार कटौती की गयी थी।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अपने  
भविष्य निधि लेखा में न तो कोई अस्थाई अग्रिम लिया है और न कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया है। चालू  
तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा लिये गये अन्तिम प्रत्याहरण  
का व्यौरा/अस्थायी अग्रिम का व्यौरा और साथ-साथ वसूली के भी व्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

#### क- अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम सं	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक
1.		
2.		
3.		N14
4.		

#### ख-अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	किश्तों की संख्या जिनमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल की गयी किश्तों की संख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल न की गयी किश्तों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न हो तो उनके कारण दीजिये
1	2	3	4	5	6

N14

(40)

5. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिये धनराशि और पांच / पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी थी / निम्नलिखित धनराशियां प्रत्याहृत की गयी थी :-

क्रम सं	धनराशि	आढण का दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा जिन्हें निर्मुक्त किया जाना है, नीचे दिया गया है :-

क्रम सं	पोलिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत राशि
1			
2			
3			
4			

7. मैं वचन देता / देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास-बुक में अतिशेष के 90% प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग-दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से उपादान (ग्रेच्युटी) से न किया गया हो तो ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूँगा / दूँगी।

स्थान .....

*Ans*  
आपका विश्वास पात्र

दिनांक .....

दस्तावेज़  
नाम और पता

### भाग-चार

मृत अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अन्तिम भुगतान  
के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन् न हो, अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किया जाने के लिये)

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) एक / दो  
उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद  
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने / हम लोगों ने श्री / श्रीमती ..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा  
संख्या ..... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय व्याज  
और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिये एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भांग तीन  
द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अभिलेख के 90 प्रतिशत  
का भुगतान करने के पश्चात् अदाशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे / हम लोगों को आहरण  
एवं वितरण अधिकारी ..... कोषागार / उपकोषागार के माध्यम से किया  
जाये।

भवदीय

स्थान .....

दिनांक .....

(दावेदार / दावेदारों का हस्ताक्षर)  
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये)

1. श्री / श्रीमती ..... का भविष्य निधि / लेखा सं० ..... है।
2. यह सेवानिवृत्त हो गया है / हो गयी है / सेवानिवृत्त होगा / होगी ..... मास के  
लिये सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी पर चला गया है / चंली गयी है / उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र  
दे दिया है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है उसे दिनांक ..... को  
पूर्वान्ह / अपरान्ह से सेवामुक्त / पदच्युत कर दिया गया है।
3. ..... रु० की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिये  
की वसूली उसके वेतन से ..... कोषागार के  
रूपये के वाउचर संख्या ..... दिनांक .....  
से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न ..... रूपये की सामान्य  
भविष्य निधि अनुसूची सम्मिलित किया गया।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में न तो कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकृत किया गया और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अन्तिम अस्थाई अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसे भविष्य निधि लेखा में प्रत्याहृत किये गये थे।

क-अन्तिम प्रत्याहरण					
क्रम सं	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक

NIV

ख-अस्थाई अग्रिम					
क्रम सं	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई

NIV

5. प्रमाणित किया जाता है कि धीमा की किस्त के भुगतान के लिये चालू और पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि से ऐसे धनराशि प्रत्याहृत नहीं दी गयी/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी :-

क्रम सं	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
---------	----------------------	----------------	--------------	----------------	-------------

NIV

6. दिनांक 31-5-2020 (वह दिनांक जब धनराशि देय हो गयी) को उसके सामान्य भविष्य निधि पासबुक में तथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक शेष व्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है दाता आठ सौ रुपये परिकलन शीट के अनुसार 486785350 रु० (अंको में) अशालाल लाइफ रु० (शब्दों में) टिरपन है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत 4381068-रु० होता है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है अतएव 4381068-रु० रु० (अंको में) दाता लाल इन्हीं को अद्यता अंडा रु० (शब्दों में) जो अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अवशेष का 90 प्रतिशत है, का भुगतान द्वारा दावेदार का या यदि मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को करने की संस्तुति की जाती है।

भाग दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रमाण

सेवा में

महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) एक/दो  
उत्तर प्रदेश  
इलाहाबाद।

(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ सेवानिवृत्त हो गया हूँ/ 31-5-2020 मास के लिये  
सेवानिवृत्ति-पूर्व छुद्दी पर चला गया/ गयी हूँ/ सरकारी सेवा से त्यामपत्र दे सका/ दुकी हूँ और मेरा  
व्यापत्र स्वीकार कर लिया गया है। दिनांक 31-5-2020 के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवानिवृत्त पद्धति  
कर दिया गया/दी गयी हूँ।

2. मैंने अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या L5U-18541 में अपने जमा खाते में विद्यमान  
अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने  
के लिये एक आवेदन पत्र (उपयुक्त भाग-एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। मैं एतद्वारा अनुरोध  
करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान के पश्चात  
अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम  
से कर दिया जाये।

3. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर दो प्रतियों में संलग्न हैं।

भवदीय

स्थान

मेरा  
हस्ताक्षर

दिनांक

नाम और पता

पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाये।

४

सामान्य भविष्य निधि से संबंधित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जानी हैं:-

## वसूलियाँ का विवरण

## वसूलियों का विवरण

धनराशि

क्रम  
सं०

ऊपर वर्णित वसूलियों के मुददे ..... रु. .... रु की धनराशि की कटौती करने के पश्चात अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास्तबक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से

(अभिदाता का या यदि उसकी मूल्य हो गयी हो तो दोषवार वावेदारों का नाम) को **५३८१०६८-००** रु (अंकों में) तेतालसे लाख रुपयाएँ रु (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक ..... १० ..... को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र-संलग्न है।

9. परिकलन शीट (दो प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित .....  
..... की अप्रसारित।

आहरण एवं वितरण अधिकारी  
का हस्ताक्षर सुनिश्चित अधिकारी  
जनपद न्यायालय अमरोहा

दिनांक .....

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिये

- प्रमाणित किया गया कि मैंने संलग्न परिकलन, शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है जो सही है। ~~महालेवी १८/८ (लेवा एवं द्विपार्क)~~ का मिलान प्राप्त प्रति ₹०/१७६ दिया गया है।
- ~~४३८१.०६८~~ ..... (रु० अंकों में) ~~तत्त्वानुसारी लाग्य इकायासी हजार अडसठ भाग~~ रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।
- ..... (स्वीकृत प्राधिकारी) को अप्रसारित।

दिनांक .....

जांच लेखा प्राधिकारी का  
विवरण कीषाधिकारी  
हस्ताक्षर और मुहर  
अमरोहा

स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिये

1. .... (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दोवदार/दावेदारों का नाम) को ..... रु० (अंकों में) ..... रु० (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2. शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य निधि पासबुक महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एक/दो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया। सामान्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस किया जाये।

दिनांक .....

## स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और महर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम संख्या 8 के विरुद्ध सच्चाप पस्तव की जाएगी

